18/6/16 पत्रावली वास्ते खेड़ अदालत नाम
अनुवाद बाद खेड़ गड़ड़िया वकील श्री
बादीगण ने उपस्थित होकर प्रार्थना
पत्र पेश किया है कि इस बादी की
पत्नि श्रीमती के नाम अदालती सम्मन
हो चुका है। इस अवस्था पश्चात
का आगे कोई कार्यवाही नहीं करते
हैं। अतः प्रकरण में कार्यवाही होनी
नहीं। इसके साथ ही प्रार्थना पत्र
स्वीकृत हुए पश्चात
में कोई आपत्ति नहीं है अतः अब आगे
कोई कार्यवाही नहीं की जावे। प्रार्थना पत्र
स्वीकार किया जाता है। प्रकरण कार्यवाही
से खारिज किया जाता है। पत्रावली
फैसल शुमार होकर नाम रजिस्टर
से खारिज किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
भवेता 18-6-16

देवीलाल

फिरोजी बाई

फिरोजी बाई